कृषि निदेशालय, बिहार

पत्र संख्या–6/स्था0कोर्ट–95/2017 /कृ0, पटना, दिनांक– , 2019

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी,
गया।

विषय :– **एम0जे0सी0 नं0–4521/2018 रामेश्वर पाण्डेय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के संबंध में।**

प्रसंगः– **कृषि निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक–83 दिनांक 18.02.2019**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रांक–83 दिनांक 18.02.2019 के संदर्भ में पुनः कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–7195/2017 रामेश्वर पाण्डेय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 31.01.2018 का अनुपालन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एम0जे0सी0 नं0–4521/2018 रामेश्वर पाण्डेय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में कारण पृच्छा दायर करते हुए शपथ पत्र संख्या एवं तिथि सहित कारण पृच्छा की प्रति कृषि निदेशालय में अबतक की समयावधि में भी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है, जबकि यह स्पष्ट है कि यह मामला अवमाननावाद से संबंधित है तथा इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में कारण पृच्छा दायर किया जाना है।

अतः वर्णित स्थिति में आपको पुनः निदेशित किया जाता है कि इस पत्र की प्रति के सात दिनों के भीतर में निश्चित रूप से वांछित कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति कृषि निदेशालय में उपलब्ध कराया जाए। अन्यथा किसी भी चूक अथवा विलंब के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हो सकते हैं।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(प्रभु राम)
निदेशक, (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक – 244 कृ0, पटना, दिनांक– 16-5-, 2019

प्रतिलिपि :– संयुक्त निदेशक (शष्य) मगध प्रमंडल, गया। जिला पदाधिकारी, गया/प्रखंड विकास पदाधिकारी, टिकारी (गया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को कृषि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं ई–मेल से पत्र सम्प्रेषित करने हेतु प्रेषित।

16/5/15

निदेशक, (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।